(180)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विविध 9085 I-17

विविध प्र0क0 —एक/2016 जिला — जबलपुर

बल्लू पुत्र प्रभू कोल जाति कोल
निवासी ग्राम जमोड़ी टोला (पौसरा) ——— आवेदक
जिला कटनी म0प्र0

दिनांक 3-5-17 को
श्री ... चतुर्वेदी
अभि० द्वारा प्रस्तुत/
3-5-17

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा ——— अनावेदक
कलेक्टर, जिला कटनी म0प्र0

विविध आवेदन अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 (इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 निग0 2637—एक/16 मेंपारित आदेश दिनांक 31—1—17 में हुई टंकण की त्रटि के सुधार बावत ।

03/05/17

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि —

1. यहकि, इस न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा कलेक्टर, कटनी के प्रकरण कमांक 20/अ—21/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 14—6—16 के विरूद्ध निगरानी कमांक 2637—एक/16 प्रस्तुत की गई थी ।

2. यहकि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी में इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31—1—17 को आदेश पारित किया गया है ।

3— यहकि, इस माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निगरानी में पारित आदेश के पृष्ठ—2, पैरा — 2 की 10वीं लाइन एवं पृष्ठ—3 पर 16वीं

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक विविध 9085–एक/17 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
19–5–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित । श्री द्विवेदी को उनके द्वारा धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत आवेदन पर सुना गया । उनके द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निग0 2637–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 31–1–17 के पृष्ठ–2 पर पैरा – 2 की 10 वीं लाइन एवं पृष्ठ–3 की 16 वीं लाइन में टंकण की त्रुटिवश सर्वे नंबर 56/1 के स्थान पर सर्वे नं. 46/1 टाइप हो गया है जबकि सही सर्वे नंबर 56/1 है । उनके द्वारा उक्त त्रुटि को सुधारे जाने के आदेश दिए जाने का निवेदन किया गया । आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से होती है । अतः न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा निग0 प्रकरण क्रमांक 2637–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 31–1–17 के पृष्ठ–2 पर पैरा – 2 की 10 वीं लाइन एवं पृष्ठ–3 पर 16 वीं लाइन में सर्वे नंबर 46/1 के स्थान पर सर्वे नं. 56/1 पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग माना जायेगा । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	